प्रेषक.

प्राविधिक शिक्षा परिषद, वलार प्रदेश लखनक।

सेवा में

सयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनक।

पत्रांक-प्राशिष/परिषद/2020/6029

लखनऊदिनांक- ३०/12/2020

विषय:— नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अपहरिहार्य कारणोवश नवरबापित डिप्लोमा इन फार्मेसी महोदय संयाजित करने दाली निम्न संस्थाओं को परिषद से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान नहीं की गयी

Ф0	संस्था कोड एवं संस्था का नाम	पाठ्यकम का नाम	प्रवेश क्षमता	ई०डब्सू० एस० सडित प्रवेश क्षमता	ई०नेल० आई०डी० एव मोबाइल नं०
1	2157. एस०बी०एस० कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जलालपुर, भुजगी, अम्बेडकर	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	06	sbscollegepharmacy@ gmail.com 9161702006
नगर। 2 4183. विद्यावली देवी कॉलेज औप फार्मेसी दामोदरपुर देवरिया.	डिप्लोमा इन फार्मेसी		66	vidyawatidevicollege fpharmacy@gmail.co m 9415581418	
3	4184. आदित्य विक्रम सिंह फार्गेरी। कॉलेज, आजमगढ़	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	86	devtyagi028/d/gmail.c om 9452236074 9557868157

उपरोक्त प्रकरण दिनांक 28-12-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद उठप्रठ लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत सम्बद्धता समिति की वैठक में समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें सम्बद्धता समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त संस्थाओं को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये उपरोवत निर्णय के अनुकम में आपसे अनुरोग है कि प्रश्नगत संस्थाओं को सत्र 2020-21 हेतु आयोजित प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित करने की कृपा करें।

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद/2020/6030-35

प्रोतालापः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाठी हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।

निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को विशेष सचिव महोदय के सूचनार्थ।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर।

निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० कानपुर।

संयुक्त निवेशक, प्राविधिक शिक्षा, मूर्वी क्षेत्र / फग क्षेत्र।

प्रधानाचार्य/निदेशक, उपरोक्त संस्थाए।

(रशिम सोनकर)

तद्दिनांक-

कार्यालय, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः – प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/63!!

लखनकः दिनॉकः 11-0(-2021

:-कार्यालय ज्ञाप-ः

मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020—21 हेतु नवआवेदित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 28—12—2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020—21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को दिये अनुमोदन के अनुकम में विचार करते हुए सत्र 2020—21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुकम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमी कर फार्नेसी पाउँयकम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति क्षेत्र नेक विचार विमर्श कर

निम्नवत निर्णय लिया गया :-

"समिति द्वारा प्रकरण पर विचार—विमर्श किया गया पूर्व किविनाई होटे के दृष्टिगत संस्था को सत्र 2020—21 से परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णालिया हुया।"

दिनांक 28—12—2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की फैक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्म में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020—21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम के उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :--

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यकम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020—21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020–21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2157	एस0बी0एस0 कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जलालपुर, भुजगी, अम्बेडकर नगर।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्ते

- √ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० / पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- √ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली—2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30,150.00 / प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू०— 45,000.00 / प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०— 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र / छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र / छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020—21 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

√ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली–2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- √ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- √ संस्था को समय—समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

cur

			Regulations, 2014. Education Regulations, 1991 / Education Regulations course in
			Education Regulations in 2020 for the Diploma course in
1			Pharmacy. Salary of teaching faculty is not as
1			per regulation.
	3-		It was further decided to instruct the institution to submit the compliance with documentary evidences (form 16) of each faculty, appointment of
- Aller - Alle			qualified principal, appointment of required number of qualified faculty as per statutory provisions.
-	371 EC/373 UP-739/ 2022-2023	D.Pharm The Secretary	Grant approval from 2020-2021 to . 2022-2023 academic session for 60
	She College Of Pharmacy	Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru	admissions u/s 12 of the Pharmacy
-	Newada Road, Bhujgi, AMBEDKAR NAGAR, 224149	Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	Act.
	PCI - 3374	0.000	B.Pharm
	B.Pharm		It was noted that institution has failed to submit consent of affiliation of
	D.Pharm	9 2022	Examining Authority and NOC of State Government for B.Pharm course.
		PRINCIPAL	In view of above it was decided to
		S.B.S. College Of Pharma: / Bhuigi-Ambedkar Nagar, U.P.	reject the application for B.Pharm course.
	371 EC/374	D.Pharm The Registrar IIMT College of	D.Pharm Extend approval upto 2022-2023
	UP-740/ 2022-2023 School Of Pharmaceutical	Medical Sciences IIMT	academic session for D.Pharm course.
	Sciences IIMT University Campus,	University Pocket O Ganga Nagar Mawana Road Meerut	Reduce intake from 60 to 40 from
	Mawana Road, O Pocket Ganga		2022-2023 academic session for D.Pharm course as the institution has
	Nagar, MEERUT, 250001		failed to appoint qualified faculty, disburse salary of teaching faculty and
	PCI - 3273		comply with the prescribed statutory
	D.Pharm		provisions of -
			Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014. Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma
			course in Pharmacy.